<u>रजिस्</u>ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082021-228903 CG-DL-E-11082021-228903

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3002]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2021/श्रावण 20, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2021/SHRAVANA 20, 1943

No. 3002]

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

का.आ. 3237(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक उपापन नीति आदेश, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करने का आदेश देती है, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म और लघु उद्यम (एम एस ई) संशोधन आदेश 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) आदेश, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के लिए सार्वजिनक प्रापण नीति के पैरा 3, उपपैरा (1) का लोप किया जाएगा।
- 3. उक्त आदेश में, पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "7. सूक्ष्म और लघु उद्यम विक्रेताओं का विकास केन्द्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम, विक्रेता विकास कार्यक्रम या क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करते हुए और जी ई एम पोर्टल के माध्यम से उपापन के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम एस ई) के विकास पर फोकस करते हुए उपयुक्त विक्रेता विकसित करने के लिए आवश्य उपाय करेंगे।"
- 4. उक्त आदेश में, पैरा 8 का लोप किया जाएगा।

4456 GI/2021 (1)

- 5. उक्त आदेश के, उपाबंध के पैरा 2 के लिए निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात :-
 - "2. समिति की संरचना निम्नलिखित के अनुसार होगी, अर्थात् :-

(i) सचिव सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय - अध्यक्ष

(ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रतिनिधि, नीति आयोग - सदस्य ; (अपर सचिव श्रेणी से नीचे का न हो)

(iii) सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग - सदस्य ;

(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सरकार ई-मार्किट प्लेस - सदस्य ; वाणिज्य विभाग. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(v) सचिव का प्रतिनिधि, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय - सदस्य ; (अपर सचिव श्रेणी से नीचे का न हो)

 (vi) सचिव का प्रतिनिधि
 - सदस्य ;

 रक्षा मंत्रालय
 (अपर सचिव श्रेणी से नीचे का न हो)

(vii) अध्यक्ष का प्रतिनिधि, रेलवे बोर्ड - सदस्य ; रेल मंत्रालय (अपर सचिव श्रेणी से नीचे का न हो)

(viii) अपर सचिव और विकास आयुक्त - सदस्य सचिव (एमएसएमई)

[फा. सं. 12(4)/2020-एमए]

डी.के. सिंह, अपर सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई)

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 581(अ), तारीख 23 मार्च, 2012 में और पश्चातवर्ती संशोधन संख्यांक का.आ. 5670(अ), तारीख 9 नवंबर, 2018 में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2021

- **S.O. 3237(E).**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012, namely:-
- 1. Short title and commencement.- (1) This order may be called the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Amendment Order, 2021.
 - (2) This order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012, (hereinafter referred to as the said order), in paragraph 3, sub-paragraph (1) shall be omitted.
- 3. In the said order, paragraph 7, the following paragraph shall be substituted, namely:-
 - "7. Developing Micro and Small Enterprises vendors.- The Central Ministries or Departments or Public Sector Undertakings shall take necessary steps to develop appropriate vendors by organising Vendor Development Programmes or Buyer-Seller Meets focused on developing Micro and Small Enterprises (MSEs) for procurement through GeM Portal."

- **4.** In the said order, paragraph 8 shall be omitted.
- **5.** In the said order, for paragraph 2 of the Annexure, the following paragraph shall be substituted, namely:-
 - "2. The composition of the Committee shall be as follows, namely:-

(i) Secretary, Ministry of MSME : Chairman

(ii) representative of Chief Executive Officer, Niti Aayog : Member;

(Not below the rank of Additional Secretary)

(iii) Secretary, Department of Public Enterprises : Member;

(iv) Chief Executive Officer, Government e-Marketplace : Member;

Department of Commerce
Ministry of Commerce and Industry

) representative of Secretary, : Member;

(v) representative of Secretary, Department of Expenditure,

Ministry of Finance

(Not below the rank of Additional Secretary)

(vi) representative of Secretary, : Member;

Ministry of Defence

(Not below the rank of Additional Secretary)

(vii) representative of Chairman : Member;

Railway Board, Ministry of Railways

(Not below the rank of Additional Secretary)

(viii) Additional Secretary and : Member Secretary

Development Commissioner (MSME)

[F. No. 12(4)/2020-MA]

D. K. SINGH, Addl. Secy. and Development Commissioner (MSME)

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 581(E), dated the 23rd March, 2012 and subsequently amended vide number S.O. 5670(E), dated the 9th November, 2018.